45

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप–6) विभाग

क्रमांक: प. 6(16) राज–6/ 99/7 जयपुर दिनांक 16.6.2003

समस्त जिला कलेक्टर,

::परिपत्र::

माननीय उच्च न्यायालय ने डी.बी. सिविल रिट पीटीशन नं. 1852/2002 हरीराम व अन्य बनाम राजस्थान राज्य में अपने निर्णय दिनांक 29–4–03 में उल्लेखित किया है कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि अंगोर भूमि पर अतिक्रमण/अवैध निर्माण हो रहे हैं। हाउसिंग कोलोनी, कॉमर्शियल काम्पलेक्स, स्कूल, दुकानें व अन्य उद्देश्यों के लिये इसका आवंटन किया जा रहा है। अगर ऐसा ही रहा तो गांवों और शहरों में बावडियां, नाडियां, तालाबों एवं झीलों आदि के लिये केचमेन्ट एरिया उपलब्ध नहीं रह जायेगा। इसकी वजह से राज्य सरकार को पिछले 5 सालों में अकाल जैसी विभिषिका का सामना करना पड़ा है। तथा पानी के अभाव में ओर अधिक भी अकाल की संभावना बढ जाती है। यह राज्य सरकार और ग्राम पंचायत का दायित्व है कि बरसात के सीजन में जल संग्रहण हेतु केचमेन्ट क्षेत्रों का संरक्षण व सुरक्षा करें।

अतः मा. उच्च न्यायालय के निर्णय दिनांक 29–4–03 की पालना में निर्देश दिए जाते है कि भविष्य में अंगोर भूमि का निर्माण कार्य हेतु आवंटन नहीं किया जावे तथा अंगोर भूमि को भी छोडा जावे।

आज्ञा से,

(हस्ताक्षर) 16/6/03

उप शासन सचिव, राजस्व

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:–

1– निजी सचिव/शासन सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग।

2– समस्त शासन उप सचिव, राजस्व विभाग

(हस्ताक्षर) 16/6/03

उप शासन सचिव